

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

अध्याय- 1 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रिया, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों की प्रवृत्तियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/ घाटा, राजकोषीय आधिक्य/ घाटा इत्यादि राजकोषीय सुधार पथ को समाहित करता है।

अध्याय- 2 एवं 3 क्रमशः राज्य सरकार के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्त एवं विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा के उपरांत प्राप्त लेखापरीक्षा परिणाम को समाहित करता है। आवश्यकतानुसार झारखण्ड सरकार से भी जानकारियाँ प्राप्त की गयी हैं।

अध्याय- 4 लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार का अवलोकन प्रस्तुत करता है और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों के संकलन, कार्यप्रणाली और निर्देशों की स्थिति को दर्शाता है।

विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेनदेन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निकायों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं राजस्व प्राप्तियों से संबन्धित अवलोकनों पर आधारित प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

